मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन
भोपाल – 462004

कमांक एफ 1–48/2009/20–1 भोपाल, दिनांक 03 फरवरी, 2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– अध्यापक संवर्ग की हडताल के संबंध में ।
संदर्भः–इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 26/09/09 एवं दिनांक 06/10/2009

––––0–––

प्रदेश में कार्यरत अध्यापक संवर्ग व्दारा दिनांक 05 सितम्बर, 2009 को भोपाल में मांगों के संबंध में अर्द्धनग्न प्रदर्शन किया गया था पश्चात दिनांक 02 अक्टूबर 2009 से वे हड़ताल पर भी रहे हैं। राज्य शासन व्दारा सालाना परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण विचारोपरान्त इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे अध्यापक जो हड़ताल के फलस्वरूप शासकीय कर्तब्य से अनुपस्थित रहे हैं, उनका हड़ताल अवधि का वेतन काटा जाय तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत यदि उनका निलंबन किया गया हो तो उन्हें निलबंन से बहाल करते हुए, उनके विरूद्व विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित रखी जाय। निलंबन अवधि को नियमित नहीं किया जाएगा और इस अवधि का वेतन (स्वत्व की राशि) देय नहीं होगा।

3/2/10

(एस एन शर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक एफ 1–48/2009/20–1 भोपाल दिनांक 03 फरवरी, 2010.

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मान.मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, मा,मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केंद्र, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, भोपाल।
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत म.प्र.।
10. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग